क्र0	पद	पदाधिकारियों का नाम एवं पिता का नाम	उम्र	व्यवसाय	पता
1.	अध्यक्ष	श्री जनकलाल ठाकुर/सुखराम	50	जनसेवा	दल्ली राजहरा, दुर्ग
2.	उपाध्यक्ष	" मेघदास वैष्णव/नरोत्तम	38	आपरेटर	टेड़ेसरा, राजनांदगांव
3.	महामंत्री	" अनूप सिंह/महेन्द्र सिंह	35	जनसेवा	दल्ली राजहरा, दुर्ग
4.	संगठनमंत्री	" गन्नू पटेला/बिसहत पटेला	32	आपरेटर	कुम्हारी, दुर्ग
5.	कोषाध्यक्ष	" कलादास डेहरिया/रामादास	33	आपरेटर	सरोरा, रायपुर
6.	सहमंत्री	" चन्द्रकला गायकवाड़/गोपीचंद	38	मजदूर	भिलाई, दुर्ग
7.	सहमंत्री	" तिलक राम/फूलसिंह	30	हेल्पर	रायणभाठा जामुल
8.	सदस्य	" भगवती यादव/बिशाल यादव	30	मजदूर	ग्राम-अकलोरडीह, दुर्ग
9.	सदस्य	श्री मानिक धुवे	40	मजदूर	ग्राम-न्यू खुर्सीपार, लेबर कैंप दुर्गा मंदिर भिलाई, दुः

5. उक्त बैठक में दोनों पक्षों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधीगण उपस्थित रहें । सहमति के उपरोक्त बिन्दुओं को प्रबंधन द्वारा पविन्नता के साथ पालन किया जायेगा । सहमति के अंशतः भी उल्लंघन होने पर यूनियन न्यायालय में जाकर अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

इकाई के आर्थिक विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये एवं इकाई को जीवन योग्य बनाये जाने हेतु यूनियन ऐसी कोई भी गतिविधी को जिसका कि विपरीत प्रभाव ईकाई के औद्योगिक संबंधों, उत्पादन पर पड़ता है, हतोत्साहित किया जायेगा ।

दिनांक- 08/01/2001

यूनियन पक्ष

1. श्री जनकलाल ठाकुर
2. श्री अनूप सिंह
3. श्री शेख अन्सार
4. श्री मेघदास वैष्णव
5) श्री तिलक राम साहू
6) श्री गन्नू पटेल

श्री सत्यप्रकाश [redacted]
सहायक श्रमायुक्त दुर्ग
{ छत्तीसगढ़ }

प्रबंधक/नियोजक पक्ष

1. श्री नवीन केडिया
2. श्री गोविंद शा
3. श्री चौरे
4. श्री पद्माकर

श्री एस. के. स्वर्ण
उपश्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन,
रायपुर, छत्तीसगढ़

— सहमति पत्रक —

माननीय म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित प्रबंधक पक्ष (प्रबंधक-छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमि0 कुम्हारी एवं केडिया डिस्टीलरी भिलाई) की रिट याचिका क्र0 5063/99, 5064/99 में यूनियन पक्ष (महासचिव- छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने एम. पी. आई. आर. एक्ट की धारा 65 (3) के तहत अंतरिम राहत देना आदेशित किया था । माननीय उच्च न्यायालय ने एल. पी. ए. क्र0 310/2000, 311/2000 में उक्त आदेश को यथावत् रखते हुए अंतरिम राहत भुगतान करने हेतु अपने आदेश दिनांक 27. 11. 2000 से एक माह का समय दिया था । इस आदेश के परिपेक्ष्य में आदेश के पालन हेतु दोनों पक्षों के मध्य कई दौर वार्तायें हुई, ये वार्तायें दिनांक 1, 6, 14, 20, 22, 24, 26 दिसम्बर 2000 एवं 5, 6, 8 जनवरी 2001 को हुई उक्त बैठकें इसलिये आवश्यक हुई कि प्रबंधन अत्यंत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, एवं इन परिस्थितियों में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहता है । इन कठिनाईयों के समग्र दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन हेतु प्रक्रिया निर्धारण की निम्नांकित सहमति दोनों पक्षों के मध्य हुई है :—

1. यह कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में जो सूची माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत है, उनमें से जिन श्रमिकों का ज्वाईनिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ, राजनांदगांव (पंजी. क्र. 398) केयर/आफ – सी. एम. एस. एस. कार्यालय दल्ली राजहरा के महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनके संदर्भ में हर श्रमिक को न्यायालयीन आदेशानुसार भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा ।

2. एम. पी. आई. आर. एक्ट की धारा 65 (3) की बकाया राशि दिनांक- 24. 11. 99 से इस सहमति के दिनांक तक कुल भुगतान जो कि 13 महिनों का है । प्रथम किस्त 5000/-रूपये प्रति श्रमिक को दिनांक 15/01/2001 से देय होगी । शेष देय राशि पांच समान मासिक किस्तों में दी जायेगी ।

3. अधिनियम की धारा 65 (3) के पालन में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित रहने तक उक्त प्रावधान के अनुसार भुगतान विधिवत् किया जाता रहेगा । श्रमिकों का उक्त भुगतान यूनियन एवं श्रम विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा ।

4. यूनियन के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने हेतु पंजीयक, व्यावसायिक संघ से प्राप्त अधिकृत दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है, कि यूनियन के विधिक पदाधिकारी वर्तमान में निम्नानुसार है :—

...2 पर